11 th

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न उ0प्र0 राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

Diary No. 1181
Date 25/10/23

2- बैठक में एजेण्डावार निम्नवत् प्रस्तुतीकरण किया गया:-

एजेण्डा बिन्दु	मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश
एजेन्डा बिन्दु संख्या-1 राज्य गंगा समिति-उत्तर प्रदेश की दिनांक 16 मार्च, 2023 को संपन्न 10वीं बैठक के कार्यवृत का अनुमोदन	समिति द्वारा कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।
एजेन्डा बिन्दु संख्या-2 दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित राज्य गंगा समिति उत्तर प्रदेश (SGC-UP) की दसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की आख्या	समिति द्वारा कार्यवाही एवं आख्या संतोषजनक पायी गई।
एजेन्डा बिन्दु संख्या-3 छोटी नदियों का कायाकल्प मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार चिन्हित विलुप्तप्राय नदियों का पुनरोद्धार	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा के तहत राज्य में नदियों के पुनरोद्धार हेतु काफी संतोषजनक एवं सराहनीय कार्य किया गया है। अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति द्वारा सोत नदी से सम्बन्धित डाक्यूमेंट्री की सराहना करते हुये निर्देश दिये गये कि डाक्यूमेंट्री से इंगित अंश हटाते हुए तथा सुधारोपरांत सोशल मीडिया/अन्य प्लेटफार्म पर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाये एवं इसी तरह अन्य नदियों पर भी राज्य स्तर पर मण्डलवार/जनपदवार डाक्यूमेंट्री तैयार कर प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रस्तुत की गयी डाक्यूमेंट्री में नदी के तलहटी

1(KEP)
25/10/23

परियोजना निदेशक
स्वच्छ गंगा मिशन उ0प्र0
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

	तथा नदी के दोनो किनारों पर किये गये तमाम जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आजीविका तथा पुनरोद्धार हेतु प्राप्त जन सहयोग/जन आन्दोलन को प्राथमिकता के साथ वर्णित किया जाए। इसके अतिरिक्त मनरेगा, वन व सिंचाई आदि विभागों के Convergence से कराये गये कार्यों का विस्तृत विवरण हो जिसमें लाभान्वितों की संख्या, सृजित मानव दिवस तथा वित्तीय व्यय आदि का सुस्पष्ट रेखांकन किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि पुनर्जीवित की जा रही नदियों को यथावत बनाये रखने हेतु नदी किनारे गहरी मूल वाले वृक्षों का रोपण किया जाये, जिसके लिए राज्य वन विभाग द्वारा उचित तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए। **(कार्यवाही-वन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ एस.एम.सी.जी.)** यह भी निर्देश दिये गये कि नदियों के पुनरोद्धार/ पुनर्जीवन हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित सहयोग प्रदान किया जाये। **(कार्यवाही-वन विभाग/सिंचाई विभाग/अन्य सम्बन्धित विभाग)** निर्देश दिये गये कि समस्त जनपदों में किये गये नदी पुनरोद्धार कार्यक्रम को आजादी के 75 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में मनाये जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये। **(कार्यवाही-ग्राम्य विकास/एसएमसीजी/अन्य सम्बन्धित विभाग)** मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0-673/2018 में पारित आदेश के क्रम में राज्य द्वारा एक नदी को चिन्हित कर मॉडल नदी के रूप में पुनर्जीवित/पुनरोद्धार किया जाना है। इस संबंध में निर्देश

Scanned with OKEN Scanner

	दिये गये कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पुनर्जीवित/ पुनरोद्धार की गई नदियों को मण्डलवार मॉडल नदी के रूप में चयन करते हुए कार्य किया जाए। **(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग/जिला गंगा समिति/अन्य सम्बन्धित विभाग)** समिति द्वारा हिंडन नदी को 'हरनंदी' नाम से प्रचारित एवं प्रसारित कराने तथा उपयोग करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग)**
एजेन्डा बिन्दु संख्या-4	गंगा किनारे के जनपदों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा राज्य में सालिड वेस्ट मैनजमेंट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु किये जा रहे कार्यों का संज्ञान किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर में निर्माणाधीन एसटीपी में पहुंच मार्ग पर ठोस अपशिष्ट का निपटान यथाशीघ्र कराने हेतु अवरूद्ध मार्ग को खाली कराये जाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/जिला गंगा समिति, मुजफ्फरनगर)**
एजेन्डा बिन्दु संख्या-5 राज्य में गंगा नदी की माह जुलाई-अगस्त, 2023 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता रिपोर्ट।	गंगा व अन्य नदियों में माह अगस्त 2023 में जल गुणवत्ता जांचने के लिए लगाये गये 76 मॉनिटरिंग स्टेशन मे से 32 स्टेशन पर बी.ओ.डी. की स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है। इसी प्रकार 76 मे से 46 मॉनिटरिंग स्टेशन में टोटल कॉलीफार्म मे सुधार परिलक्षित हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि उन मॉनिटरिंग स्टेशन जहां पर बी.ओ.डी./टोटल कॉलीफार्म अथवा अन्य पैरामीटर्स में सुधार परिलक्षित नही है, उन स्थानों पर इसका कारण व पैटर्न का अध्ययन करते हुए उचित एवं

Scanned with OKEN Scanner

	प्रारंभिक कार्य योजना बनायी जाये एवं उत्तरदायी संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। गुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि गुणवत्ता मॉनिटरिंग से संबधित लिंक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एस.एम.सी.जी. को उपलब्ध कराया जाये जिससे नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा भी नियमित अनुश्रवण किया जा सके। **(कार्यवाही-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एस.एम.सी.जी.)**
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-6</u> नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सीवैरज परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति।	निर्देश दिये गये कि आगामी कुम्भ-2025 एवं मा0 एनजीटी के द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में उ0प्र0 राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माणाधीन एसटीपी परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण किया जाए। **(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/उत्तर प्रदेश जल जल निगम(ग्रामीण/नगरीय)/यूपीसीडा)** लखनऊ में दौलतगंज क्षेत्र व बसंतकुंज कॉलोनी से जनित कुल 100 एमएलडी के सम्भावित डिस्चार्ज के शोधन हेतु एसटीपी निर्माण किये जाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, तदोपरांत उक्त कार्य हेतु कार्य योजना की डीपीआर का गठन नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाए। **(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)/एस.एम.सी.जी.)** वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बरीकलां में नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित डेयरियों को नगरीय सीमा से बाहर पुर्नस्थापित किया जाना है, जिसके लिए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नदी के किनारे स्थित डेयरियों को

Scanned with OKEN Scanner

	पुर्नस्थापित करने के लिए डेयरी संचालकों के साथ सहमति बन गई है, परन्तु विकसित हो रही बसंतकुंज कॉलोनी की तरफ स्थित डेयरियों को पुर्नस्थापित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिये गये कि जहां पुर्नस्थापित करना असम्भव हो रहा है, उन डेयरियों से निकलने वाले गोबर इत्यादि के लिए वैकल्पिक उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि गोबर इत्यादि से होने वाले प्रदूषण एवं एसटीपी के संचालन में व्यवधान न उत्पन्न हो। **(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण))** नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित मुरादाबाद में संचालित 58 एमएलडी एसटीपी के कतिपय अधोसंरचनाओं की संचालन एवं रख-रखाव अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसके उपरांत अग्रिम संचालन व रख-रखाव स्थानीय नगर निगम द्वारा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से कराया जाना है। उक्त पर होने वाले व्यय हेतु शासन से धनराशि की मांग का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। निर्देश दिये गये कि शासन स्तर से उक्त कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए। **(कार्यवाही-सम्बन्धित नगर निगम/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)**
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-7</u> राज्य में सीवेज शोधन की वर्तमान स्थिति।	राज्य में स्थित अक्रियाशील 08 एसटीपी पर समिति द्वारा गहरी चिंता व्यक्त की गई। समिति को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कानपुर स्थित 15 एमएलडी बनियापुर एसटीपी हेतु फर्म का चयन किया जा चुका है एवं रामपुर में पेहरीगांव स्थित 15 एमएलडी एसटीपी को क्रियाशील बनाने के लिए डीपीआर का गठन

Scanned with OKEN Scanner

	किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि प्रदेश में स्थापित सभी अक्रियाशील एसटीपी को शीघ्र ही संचालित करते हुए कम्प्लाएंट किया जाए। इसके अतिरिक्त 33 नान कम्प्लाएंट एसटीपी में फीकल कॉलीफार्म के पैरामीटर नही प्राप्त हो रहे हैं तथा इन्हीं में से 03 पर बीओडी के मानक नही प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित व नॉन कम्प्लाएंट 13 एसटीपी में से 09 एसटीपी पर सीसीटी स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है व अन्य के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है। निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर यू.वी. तकनीक की व्यवहारिकता का परीक्षण करते हुए समाधान किया जाए। इसके साथ ही अन्य सभी नॉन कम्प्लाएंट एसटीपी को 03 माह के भीतर कम्प्लाएंट बनाने के लिए यू.वी. तकनीक अथवा अन्य तकनीक को अपनाते हुए एसटीपी का संचालन किया जाए, ताकि किसी भी तरह का अशोधित/आंशिक शोधित जल नदियों में प्रवाहित न किया जाए, अन्यथा की दशा में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तरदायी के विरूद्ध ई.पी.ए.-1986 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। **(कार्यवाही-उ0प्र0 जल निगम-ग्रामीण/नगरीय/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/यूपीसीडा/रेलवे विभाग/नगर विकास विभाग)**
<u>**एजेन्डा बिन्दु संख्या-8**</u> राज्य में सामूहिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण की स्थिति।	निर्देश दिये गये कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में संचालित सीईटीपी से सम्बद्ध औद्योगिक इकाईयों द्वारा संचालित पीईटीपी की स्थिति का आकलन कर यह

Scanned with OKEN Scanner

	सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह सुचारू रूप से संचालित है एवं अपने निर्धारित मानकों को प्राप्त कर रहें हैं, जिससे कि सीईटीपी के संचालन में तकनीकी अवरोध उत्पन्न न हो। **(कार्यवाही-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सीईटीपी संचालक/सम्बद्ध औद्योगिक इकाईयां)** यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश में निर्माणाधीन सीईटीपी को समय-सीमा अन्तर्गत पूर्ण कर संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। **(कार्यवाही-औद्योगिक विकास विभाग/यूपीसीडा)**
एजेन्डा बिन्दु संख्या-9 राज्य में ग्रॉसली पाल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज के इंस्पेक्शन की स्थिति।	उक्त के संबंध में निर्देश दिये गये कि प्रदेश की मुख्य नदियों जैसे-हरनंदी, यमुना, काली(पूर्व) इत्यादि को अनवरत रूप से प्रदूषित कर रही ग्रॉसली पाल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज से हो रहे प्रदूषण की सतत् मॉनीटरिंग करते हुए डिफाल्टर ग्रॉसली पाल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। **(कार्यवाही-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
एजेन्डा बिन्दु संख्या-10 राज्य गंगा समिति में पूर्व में 05 विशेषज्ञ की कार्यावधि समाप्त होने के उपरांत नए 05 विशेषज्ञ को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	उक्त के संबंध में निर्देश दिये गये कि नामित किये गये सदस्यों को अधिसूचना में सम्मिलित कराते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से नई अधिसूचना शीघ्र जारी कराया जाये। **(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश)**
एजेन्डा बिन्दु संख्या-11 प्रदेश में गंगा व उसकी मुख्य सहायक नदियों में उपस्थति राष्ट्रीय जल जीव डॉलफिन के	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

संरक्षण के रणनीति/कार्ययोजना एवं जलागम आद्रभूमि (फ्लड प्लेन वेटलैंड्स) के संरक्षण, पुनरोद्धार हेतु किये जा रहे प्रयास के सम्बन्ध में	
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-12</u> जिला गंगा समिति	बैठक में जिला गंगा समिति की मासिक बैठकें आयोजित कर कार्यवृत्त जी.डी.पी.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। 05 जिला गंगा समितियों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर वार्षिक पुरस्कार दिये जाने के प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्रस्ताव में 05 जिला गंगा समितियों को उनकी सक्रियता, भागीदारी, जागरूकता के आधार पर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा मापदण्डों को निर्धारित करते हुए स्कोरिंग की जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुये निर्देश दिये गये कि पुरस्कार हेतु चयन के मानक वस्तुनिष्ठ हों तथा जिला गंगा समितियों को उक्त मानकों से शीघ्र अवगत करा दिया जाये। **(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश)** जिला गंगा समिति, शाहजहांपुर द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश को जमा किये गये मॉडल जिला गंगा एक्शन प्लान को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जाए। **(कार्यवाही- राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश)** जिला गंगा समितियों द्वारा गंगा व अन्य नदियों के संरक्षण अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही महिलाओं को जिला स्तर पर विशेष रूप से सम्मानित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

Scanned with OKEN Scanner

File No.76-2099/45/2022-2-

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2

संख्या-321/76-2-2023/11एन.जी./2023

लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग,उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
15. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय) लखनऊ।
16. कार्यकारी निदेशक (प्रशा0), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner